भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3116

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

धनबाद में एनएच के राजगंज-गोविंदपुर खंड पर दुर्घटना प्रवण क्षेत्र

3116. श्री दुलू महतो:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय धनबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के राजगंज-गोविंदपुर खंड पर जनवरी से अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान हुई कथित 91 मौतों और 15 दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर सड़क डिजाइन की कमियों, अनधिकृत कटों और उच्च जोखिम वाले दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों को ठीक करने के लिए क्या तत्काल अभियांत्रिकी उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) खराब दृश्यता और रात्रि के समय होने वाली घातक दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने के लिए उक्त गलियारे पर अकार्यशील स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त खंड पर सड़क सुरक्षा में वृद्धि और यातायात निगरानी के लिए ऊपरि पैदल पार पथ, जेब्रा क्रॉसिंग, रम्बल स्ट्रिप और बंद परिपथ और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुरक्षा अवसंरचना संस्थापित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए गलत दिशा में वाहन चलाने, अत्यधिक गति से वाहन चलाने और मद्यपान करके वाहन चलाने पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रवर्तन उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी ब्लैक स्पॉट श्रृंखला 2021-23 के अनुसार राजगंज से गोविंदपुर तक के खंड में कुल 8 ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना प्रवण क्षेत्र) की पहचान की गई थी। इनमें से 5 ब्लैक स्पॉट पर, एनएच-19 के 6-लेन चौड़ीकरण के दौरान अंडरपास, फुट ओवरब्रिज, सर्विस रोड और अन्य सुरक्षा उपायों के प्रावधान द्वारा पहले ही सुधार कार्य कर दिए गए हैं। शेष 3 ब्लैक स्पॉट, चैनेज 407+500, 408+120 और 410+180 पर स्थित हैं, जो 6-लेन गोविंदपुर एलिवेटेड परियोजना खंड के अंतर्गत आते हैं और एलिवेटेड कॉरिडोर के पूरा होने पर सुधार दिए जाएंगे।

परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2028 है। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन की सहायता से अनधिकृत ओपनिंग्स को नियमित रूप से बंद किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना गलियारे के साथ-साथ लगी सभी स्ट्रीटलाइटें वर्तमान में चालू हैं, और संचालन अवधि के दौरान यदि कोई खराबी आती है तो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) तीन फुटओवर ब्रिज (एफओबी), रंबल मार्किंग और अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं तथा यातायात निगरानी के लिए 2 किलोमीटर के अंतराल पर क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गलत दिशा में वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना और शराब पीकर वाहन चलाना आदि पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन के समन्वय से नियमित रूप से सड़क सुरक्षा अभियान/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
